भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3409
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए आफ्टरकेयर सपोर्ट

3409. **डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बाः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) से बाहर आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आवास तथा वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधानों सहित सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे संवेदनशील युवाओं को स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए कोई व्यापक देखरेख (आफ्टरकेयर) एवं पुनर्वास नीति तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आफ्टरकेयर सपोर्ट प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सिक्किम सहित राज्य-वार संख्या क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) से बाहर आने वाले बच्चों के लिए आफ्टरकेयर सहायता को सुदृढ़/विस्तारित करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत मिशन वात्सल्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित धारा 2(5) के अनुसार संस्थागत देखरेख में रहे बच्चों की पश्चात देखरेख का प्रावधान करती है। इन प्रावधानों के तहत यह अनिवार्य है कि अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखरेख

संस्थाओं को छोड़ने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने को आसान बनाने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाए।

मिशन वात्सल्य के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए (21 वर्ष की आयु तक) पश्चात देखरेख सहायता प्रदान की जाती है, जिसे असाधारण मामलों में 23 वर्ष तक या जब तक उसका उपयुक्त रूप से पुनर्वास की व्यवस्था हाने और समाज की मुख्यधारा में शामिल किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा, व्यक्तिगत पश्चात देखरेख योजना के कार्यान्वयन के लिए पश्चात देखरेख सेवाओं में लगे बाल देखरेख संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों को प्रति लाभार्थी ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखरेख और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ युवा व्यक्ति की आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

पश्चात देखरेख सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे युवाओं को आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना और स्वतंत्र जीवन की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर होने में सुगम बनाना है। इसके अलावा, राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवास, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, युवा कार्यक्रम, सामाजिक न्याय, जनजातीय विकास, वित्तीय सेवाएं, उद्योग इत्यादि से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से इस सहायता में सहयोग कर सकते हैं।

सिक्किम सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य की पश्चात देखरेख सेवाओं के तहत सहायता-प्राप्त लाभार्थियों सहित गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

'बच्चों के लिए आफ्टरकेयर सपोर्ट' के संबंध में डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 3409 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सिक्किम सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य की पश्चात देखरेख सेवाओं के तहत सहायता-प्राप्त लाभार्थियों सहित गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	144	9150	10000	14187	14187
2	अरुणाचल प्रदेश	318	840	1719	1318	1318
3	असम	434	858	1919	2400	2400
4	बिहार	1646	504	4001	6001	6001
5	छत्तीसगढ़	1250	288	1137	1550	1550
6	गोवा	13	27	62	93	93
7	गुजरात	1438	506	450	472	466
8	हरियाणा	1042	5155	643	880	880
9	हिमाचल प्रदेश	563	1347	1352	2028	2028
10	जम्मू एवं कश्मीर	979	1398	4024	5092	5092
11	झारखंड	1125	3086	4629	6793	6793
12	कर्नाटक	1375	3875	12449	18673	18673
13	केरल	322	1133	1455	2182	2182
14	मध्य प्रदेश	2188	2377	13715	20572	20572
15	महाराष्ट्र	1688	9844	21680	32520	32520
16	मणिपुर	729	1120	1288	1932	1932
17	मेघालय	489	1028	1083	1285	1285
18	मिजोरम	396	591	1516	2011	2011
19	नागालैंड	521	752	779	789	789
20	ओडिशा	1375	1772	3697	5545	5545
21	पंजाब	263	612	4150	2483	2483
22	राजस्थान	1438	239	933	475	359
23	सिक्किम	188	323	460	427	427
24	तमिलनाडु	1521	2975	5411	8116	8116
25	तेलंगाना	1563	6454	4858	7287	7287
26	त्रिपुरा	364	305	1373	2059	2059
27	उत्तर प्रदेश	3313	1766	10000	15000	15000

28	उत्तराखंड	572	847	1817	1631	1631
29	पश्चिम बंगाल	1083	1670	2750	4125	4125
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51	0	1	0	25
31	चंडीगढ़	67	199	309	350	350
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	155	519	984	929	815
33	लद्दाख	0	29	411	482	482
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	20
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	521	980	635	952	846
36	पुदुच्चेरी	197	106	171	256	256
